

पत्रांक-14/ए0एफ0-21/2020

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक...../...../2023

विषय:- अशर्फी कुँवर रामरतन राय महाविद्यालय, कोटवा, पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला संकाय के विभिन्न विषयों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक सत्र 2023-26 से स्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक-B/77 दिनांक-13.01.2023 के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम 1098 दिनांक-19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक-14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-25.10.2019 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अशर्फी कुँवर रामरतन राय महाविद्यालय, कोटवा, पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला संकाय के विभिन्न विषयों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक सत्र 2023-26 से स्थायी संबंधन की अनुमति प्रदान की गयी है।

	संकाय	विषय
01	कला (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, ऊर्दू, संस्कृत, गणित, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल,, इतिहास, दर्शनशास्त्र, संगीत समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान, गृह-विज्ञान, एवं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति (कुल 15 विषय)।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-14/ए0एफ0-21/2020

पटना, दिनांक...../...../2023

प्रतिलिपि:-माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/उप सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा के निजी सहायक एवं सचिव, अशर्फी कुँवर रामरतन राय महाविद्यालय, कोटवा, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-


(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-14/ए0एफ0-21/2020 - 644

पटना, दिनांक. 25/04/2023

प्रतिलिपि:-आईटी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का निदेश दिया जाता है।



(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

